

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण

1 जोगाराम पुत्र खिमा जी
जाति माली निवासी फलवदी
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 33/2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
18-07-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री रमेश माली व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/593 दिनांक 08-07-2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम फलवदी के खसरा संख्या 307, 181, 185 पटवार मण्डल जैला भूअभि.नि. तंवरी में स्थित है। प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी दर्ज है जो सही है। खसरा संख्या 307, 181, 185 में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र खेमा व जगदीश पुत्र खीमा और जोगा पुत्र खीमा राम माली दर्ज है। वारिसान द्वारा नामान्तकरण करते समय नाम लिखवाने में भूल की है। ग्राम में मजमें आम पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई तो खातेदार का वास्तविक नाम जोगाराम पुत्र खीमाराम माली सही है। दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम जोगाराम पुत्र खीमाराम माली सही है। अतः राजस्व जमाबंदी में खसरा संख्या 307, 181, 185 खाते में शुद्धि किया जाना उचित रहेगा।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के ग्राम फलवदी, पटवार मण्डल जैला भूअभि.नि. तंवरी में स्थित जमाबंदी में खसरा संख्या 307, 181, 185 खाते में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र खेमा व जगदीश पुत्र खीमा और जोगा पुत्र खीमा राम माली के स्थान पर जोगाराम पुत्र खीमाराम माली संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे।</p>	



लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

सिरोही
(उपस्थित अधिकारी)
सिरोही (राज.)